# अनुदान संख्या 70 - पंचायती राज मंत्रालय
# GRANT No. 70– MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

| | | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीकृत - | Voted - | | | | | |
| मूल | Original | 5250,65,00 | | | | |
| | | | | 5250,66,00 | 4107,44,76 | -1143,21,24 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 1142,63,57 |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/ हुआ :-

*Notes and comments*

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "3451" | Major Head "3451" | | | | | |
| सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Secretariat – Economic Services | | | | | |
| मू. | O. | 1665.00 | | | | |
| | | | | 1530.43 | 1495.67 | -34.76 |
| पु. | R. | -134.57 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2515" | Major Head "2515" | | | | | |
| अन्य ग्रामीण विकास | Other Rural Development | | | | | |
| कार्यक्रम | Programme | | | | | |
| मू. | O. | 16400.00 | | | | |
| पू. | S. | 1.00 | | 17572.00 | 17549.49 | -22.51 |
| पु. | R. | 1171.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | | |
| मू. | O. | 2000.00 | | | | |
| | | | | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -2000.00 | | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत - Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 505000.00 | 391700.00 | 391699.60 | -0.40 |
| पु. | R. | -113300.00 | | | |

(I) ₹2539.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2400.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज - संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों की सहायता प्राप्त परियोजनाएं" - ₹490.00 लाख संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से प्रतिपूर्ति के दावे विलम्ब से प्राप्त होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज" -

(क) "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना" - ₹1050.00 लाख;

(ख) "जनसंचार माध्यम और प्रचार" - ₹150.00 लाख;

(ग) "ई-पंचायत संबंधी मिशन परियोजना" - ₹400.00 लाख; और

(घ) "पंचायत सशक्तीकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम" - ₹310.00 लाख ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पंचायती राज मंत्रालय" के अंतर्गत ₹169.33 लाख की बचत (₹1665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और सम्राट होटल में किराए पर लिए गए आवास को खाली कर दिए जाने के कारण हुई ।

(I) Provision of ₹2539.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹2400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Projects Assisted by UN Agencies" - ₹490.00 lakhs - due to late receipt of claims for reimbursement from United Nations Development Programme.

(B) Major head "2552" – "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj"-

(a) "Rashtriya Gram Swaraj Yojana" - ₹1050.00 lakhs;

(b) "Media and Publicity" - ₹150.00 lakhs;

(c) "Mission Project on e-Panchayat" - ₹400.00 lakhs; and

(d) "Panchayat Empowerment and Accountability Incentive Scheme" - ₹310.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3451"- "Secretariat - Ministry of Panchayati Raj" - saving of ₹169.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1665.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and vacation of rented accommodation at Samrat Hotel.

(III) मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज - ग्रामीण व्यापार केन्द्र" के अंतर्गत ₹144.02 लाख की बचत (₹197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकारी अभिकरणों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई ।

(III) Under Major Head "2515"- "Panchayati Raj - Rural Business Hubs"- saving of ₹144.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹197.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3601"- "Grants for State Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज - पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान" - ₹131654.31 लाख की बचत (₹381780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई ।

(A) "Other Rural Development Programme - Panchayati Raj - Grants for Backward Regions"- saving of ₹131654.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹381780.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज" - ₹18355.08 लाख की बचत (₹81810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई ।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Other Rural Development Programme - Panchayati Raj"- saving of ₹18355.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹81810.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the State Governments.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹51.54 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत से अधिक थी ।

(V) Under one head saving of ₹51.54 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1012.51 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2515"- "पंचायती राज - राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत मार्च, 2012 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1011.51 लाख था ।

2.(I) The above savings were partly (₹1012.51 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2012 under Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Rashtriya Gram Swaraj Yojana". Actual excess, however, was ₹1011.51 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज" -

(A) Major Head "2515" – "Panchayati Raj" -

(क) "पंचायत सशक्तीकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना" - ₹271.68 लाख का अधिक व्यय (₹2790.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Panchayat Empowerment and Accountability Incentive Scheme" – excess of ₹271.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2790.00 lakhs);

(ख) ''जनसंचार-माध्यम और प्रचार'' - ₹131.94 लाख का अधिक व्यय (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) ''ई-पंचायत संबंधी मिशन परियोजना'' - ₹400.00 लाख का अधिक व्यय (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जनजातीय क्षेत्र उप योजना - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज'' - ₹36708.99 लाख का अधिक व्यय (₹41410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की उच्चतर प्रतिशतता वाले जिलों से अधिक व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुआ ।

(b) "Media and Publicity" – excess of ₹131.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs); and

(c) "Mission Project on e-Panchayats" – excess of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Other Rural Development Programme - Panchayati Raj" - excess of ₹36708.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41410.00 lakhs) was due to receipts of more viable proposals from the Districts having higher percentage of Scheduled Tribes population.